U;k;ky; HkkicU/k vf/kdkjh ,o inu jktLo vihy ikf/kdkjh chdkusj

Ekgkohj [kjkMh vkj0,0,l0

vihy l0 25@2020

1. मोहम्मद जुबेर पुत्र श्री उस्मान गनी जाति मुसलमान व्यापारी निवासी वार्ड सं0 20 चूरू तहसील चूरू हाल निवासी सांताकुज वेस्ट मुम्बई ।

vihykV

cuke

1. अफरीन बानो पुत्री अब्दुल हकीम जाति मुसलमान निवासी वार्ड सं0 12 रतननगर तहसील जिला चूरू ।
2. अमरीन बेहलीम पुत्री अब्दुल हकीम जाति मुसलमान निवाी वार्ड सं0 12 रतननगर तहसील जिला चूरू ।
3. अब्दुल अजीम बैहलीम पुत्र अब्दुल हकीम जाति मुसलमान निवासी वार्ड सं0 12 रतननगर तहसील व जिला चूरू । जरिये प्राकृतिक पिता अब्दुल हाकिम बैहलिम।
4. आदिल पुत्र मोहम्मद साबीर जाति मुसलमान निवासी हिलाल मस्जिद के पास वार्ड सं0 30 चूरू । जरिये माता शबनम बानो पत्नी मोहम्मद साबिर जाति मुसलमान निवासी हिलाल मस्जिद के पास वार्ड सं0 30 चूरू ।
5. मोहम्मद जाबिद कुरेशी पुत्र मोहम्मद कुरेशी जाति कुरेशी मुसलमान निवासी तहसील व जिला चूरू ।
6. मोहम्मद समीर कुरेशी पुत्र मोहम्मद कुरेशी जाति कुरेशी मुसलमान निवासी तहसील व जिला चूरू ।
7. सुबे दौलत पत्नी मोहम्मद हाकिम जाति मुसलमान निवासी वार्ड सं0 09 रतननगर तहसील जिला चूरू ।
8. मोहम्मद साबिर पुत्र यासिन जाति मुसलमान निवासी हिलाल मस्जिद के पास वार्ड सं0 30 चूरू ।

9. मोहम्मद सलीम पुत्री यासिन जाति मुसलमान निवासी वार्ड न0 30 तहसील व जिला चूरू ।

10.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चूरू तहसील व जिला चूरू ।

jLikM.Vl

mifLFkr%& 1. श्री पवन कुमार शर्मा अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री हनुमानप्रसाद स्वामी अधिवक्ता अपीलांट
3. प्रतापसिंह बिदावत रेस्पो0 अभिभाषक

U;k;ky; mi[k.M vf/kdkjh p: ftyk p: d fu.k; fnukd 22-09-2020 d fo:} vihy vUrxr /kkjk 225 jkt LFkku dk'rdkjh vf/kfu;e 1955

fu.k; दिनांकः—27.05.2022

1. अपील के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार से है कि अधिनस्थ न्यायालय चूरू के निर्णय दिनांक 22.09.2020 के विरूद्व न्यायालय हाजा में पेश हुई है । अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादगत कृषि भूमि ख0न0 948 तादादी 11. 10 बीघा, 959 तादादी 14 बीघा कुल तादादी 25.10 बीघा वाके रोही चूरू में अपीलांट के दादा/नाना की खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि थी जिसमें से वादीगण/रेस्पो0 सं0 1 ता 3 की माता श्रीमती सुबे दोलत, रेस्पो0/वादी सं0 4 के पिता मो0 साबीर व प्रतिवादीगण सं0 5 व 6 के पिता मो0 सलीम द्वारा अपना 21.25 हिस्सा जो राजस्व रेकार्ड में दर्ज था उसे अपीलांट/प्रतिवादी के पिता ने दिनांक 12.05.17 को पंजीकृत उपहार पत्र से अपीलांट/प्रतिवादी मो0 जुबेर को उपहार स्वरूप दे दी तब से वह उक्त भूमियों का रेकार्डेड खातेदार है और रेस्पो0/अप्रार्थीयो का वादगत कृषि भूमि पर किसी भी प्रकार का हक हिस्सा वादगत भूमि पर नही है । मुस्लिम विधि के प्रावधानो के तहत रेस्पो0/वादी का अपने माता पिता की मौजुदगी में किसी प्रकार का कोई अधिकार उत्पन नही होता है इन विधिक तथ्य को अनदेखी करते हुऐ अधिनस्थ न्यायालय द्वारा रेकार्डेड खातेदार को अंतरिम स्थगन आदेश से पाबन्द

कर दिया जिसके विरूद्व यह अपील पेश की गयी है । के संबंध में रेस्पो0 सं0 1 राजूसिंह आदि द्वारा अपनी पुश्तैनी संयुक्त अविभाजित भूमि बताते हुऐ दावा घोषणात्मक दावा दुरूस्ती एवं चिर निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया जिसमें अपीलांट को पक्षकार नही बनाया गया व अधिनस्थ न्यायालय द्वारा एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्व अपीलांट जारी कर दी गयी जिसके विरूद्व यह अपील प्रस्तुत की गयी है ।

2. अपीलांट् पक्ष के योग्य अभिभाषक ने अपील के तथ्यो को दोहराते हुए अपनी बहस में कथन किया है कि वादगत कृषि भूमि ख0न0 948 तादादी 11.10 बीघा, 959 तादादी 14 बीघा कुल तादादी 25.10 बीघा वाके रोही चूरू में अपीलांट के दादा/नाना की खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि थी जिसमें से वादीगण/रेस्पो0 सं0 1 ता 3 की माता श्रीमती सुबे दोलत, रेस्पो0/वादी सं0 4 के पिता मो0 साबीर व प्रतिवादीगण सं0 5 व 6 के पिता मो0 सलीम द्वारा अपना 21.25 हिस्सा जो राजस्व रेकार्ड में दर्ज था उसे अपीलांट/प्रतिवादी के पिता ने दिनांक 12.05. 17 को पंजीकृत उपहार पत्र से अपीलांट/प्रतिवादी मो0 जुबेर को उपहार स्वरूप दे दी तब से वह उक्त भूमियों का रेकार्डेड खातेदार है और रेस्पो0/अप्रार्थीयो का वादगत कृषि भूमि पर किसी भी प्रकार का हक हिस्सा वादगत भूमि पर नही है । मुस्लिम विधि के प्रावधानो के तहत रेस्पो0/वादी का अपने माता पिता की मौजुदगी में किसी प्रकार का कोई अधिकार उत्पन नही होता है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य तथा कानून एवं प्राकृतिक न्याय सिद्वांतों के विपरित है क्यों कि आदेश पारित करते समय मुस्लिम विधि के प्रावधानों पर कोई गोर व मनन नही किया है ।यह स्पष्ट प्रावधान है कि मुस्लिम विधि अध्याय 6 बिन्दु 52 के अनुसार Birth right not recognised- The right of an heir apparent or presumptiv comes into existence for the first time on the death of the ancesto, and he is not entitled until then to any interest in the property to which he would succeed as an heir if he survived the ancestor .एवम मुस्लिम ला खण्ड तृतीय दान करने की सर्मथन The Law Relating To Gifts पेज 27 सेक्शन 3 capacity for Making a gift- capacity to make a Hiba or Gift- every muslim who has attained majority and is of sound mind can make a gift . A woman has the same right to make a gift as a man, and marrige dose not entil any diabilities.the orderary presumption is that a person making a gift understands what he is doing but if the donor is a woman

designated as pardanslim the presumption does not arise. (जो कोई व्यक्ति व्यस्क, स्वस्थ एवम मस्तिष्क से सही हो व व्यक्ति अपने हिस्से/खातेदारी की भूमि को दान करने में पूर्णतयः स्वतंत्र है) उक्त मुस्लिम विधि के प्रावधानो के अन्तर्गत मुस्लिम विधि में जन्म से मान्य नही किया गया है यानि मुस्लिम विधि मे किसी पूर्वज की मृत्यु के पूर्व कोई व्यक्ति उसकी सम्पति में अधिकार नही रखता है इस विधिक स्थिति के होते हुऐ भी विधिक प्रावधानो की अनदेखी करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश कानून की नजर में सही आदेश नही है । रेस्पो0/वादी की ओर से जो मुस्लिम प्रर्सनल ला (शरियत) कानून 137 प्रस्तुत किया गया था उस कानून की धारा 2 में वर्णित प्रावधान वादगत प्रकरण में किसी भी प्रकार से लागू नही होते है क्यों कि निर्वसीयती उतराधिकार का कानून कृषि भूमि पर लागू नही होता है । मगर इस प्रावधान का अधीनस्थ न्यायालय में गलत विवेचन किया है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट/प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत तर्को को सही मानते हुए अपने आदेश में यह स्वीकार किया है कि किसी मुस्लिम व्यक्ति की सम्पति में उसके वारिसान का उसके जीवनकाल में कोई उतराधिकार हासिल नही होते है । कृषि भूमि से संबंधित प्रश्नो का मुस्लिम प्रर्सनल ला के प्रावधानो से अलग रखा गया है जिसे एक कानूनी बिन्दु व आपत्ति मानते हुए इसका विनिश्चक मुल वाद में प्रर्याप्त साक्ष्य सबुत, सुनवाई व बहस के बाद ही होना है ओर इस प्रकार के प्रार्थना पत्र पर निर्णीत नही किया जा सकता है । अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा वादगत कृषि भूमि अपीलांट ओर रेस्पो0 की पैतृक खातेदारी की सम्पति है बताया जाना किसी भी प्रकार से सही नही है क्यों कि वादगत कृषि भूमि में जो कि राजस्व अभिलेख में खातेदार थे उनके द्वारा विधि सम्मत तरिके से बनने वाला अपना अपना हिस्सा पंजीकृत दस्तावेजो से अपीलांट को उपहार में दे दिया गया है ओर उपहार पत्र दस्तावेज अवैध विधि विरूद्व था । राजस्व रेकार्ड की पृविष्टियों के विपरित नही है । अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलांट/प्रतिवादी के रेकार्डेड खातेदार होने के बावजुद भी उन्हे स्थगन आदेश से पाबंद कर कानूनन भूल की है तथा प्रथम दृष्टया मामला अपूर्णीय क्षति का मामला रेस्पो0/वादी के पक्ष में नही होते हुए भी अपीलांट के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश पारित किया गया जिससे अपीलांट को अपूर्णीय क्षति का सामना करना पड़ रहा है । इस संबंध में अपीलांट अभिभाषक द्वारा न्यायिक दृष्टांत मुस्लिम उतराधिकार विधि पृष्ठ सं0 25 से 31 प्रस्तुत की जिसमें मुस्लिम विधि के अन्तर्गत हस्तांतरित की गयी सम्पति धारा 40 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 के अनुसार अगर कोई किसान बिना वसियत किये हुऐ मर जाता है तो उसका हित व्यक्तिगत कानून के मुताबिक उसके

उतराधिकारियों को हो जायेगा । राजस्थान उच्च न्यायालय तथा राजस्व मण्डल के बहुत से निर्णयों के अनुसार हिन्दुओं के लिये हिन्दु उतराधिकार नियम के अनुसार सम्पति जायेगी तथा मुस्लमानों के लिये मुस्लिम विधि के अनुकूल ओर पारसी व ईसाई लोगो की सम्पति भारतीय उतराधिकार नियम द्वारा जायेगी । अतः अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.09.2020 को अपास्त किया जाकर अपीलांट की अपील स्वीकार की जावे ।

3. रेस्पो0 अभिभाषक ने अपीलांट की बहस को नकारते हुए अपनी बहस में कथन किया कि वादगत कृषि भूमि ख0न0 948 तादादी 11.10 बीघा, 959 तादादी 14 बीघा कुल तादादी 25.10 बीघा वाके रोही चूरू में स्थित है जो पूर्व में रेस्पो0/वादी के दादा के खातेदारी कब्जा काश्त की भूमि रही है जो विरासतन रेस्पो0/वादी के पिता के खाते में आई है। रेस्पो0/वादी के दादा/नाना का स्वर्गवास हो चुका है । उपरोक्त कृषि भूमि विरासतन रेस्पो0 सं0 1 ता 3 की माता सुबेदौलत का 21.25 हिस्सा रेस्पो0 सं0 4 के पिता मोहम्मद साबिर के 21.25 हिस्सा व रेस्पो0 सं0 5 व 6 के पिता मोहम्मद सलीम के 21.25 हिस्सा राजस्व रेकार्ड में दर्ज हो गयी । इस प्रकार वादगत कृषि भूमि में रेस्पो0/वादी के माता पिता के हिस्से में उपरोक्तानुसार इस भूमि में खातेदारी की रही है। रेस्पो0/वादी के पिता ने उपहार पत्र दिनांक 12.05.17 जो उप पंजीयक कार्यालय चूरू से पंजीबंद्व किया गया के जरिये अपीलांट सं0 1 मो0 जुबेर को उपहार कर दी । उपरोक्त कृषि भूमि रेस्पो0/वादी के पिता के पास विरासतन नाना/दादा के स्वर्गवास के पश्चात प्राप्त हुई है इसलिये रेस्पो0 सं0 1 ता 3 का अपनी माता की भूमि में 3/4 , 3/4, 3/4 हिस्सा अवस्थित है तथा रेस्पो0 4 का अपने पिता रेस्पो सं0 8 के हिस्से की भूमि में 1/2 हिस्सा व रेस्पो0 सं0 5 व 6 रेस्पो0 सं0 9के हिस्से की भूमि 2/3 2/3 हिस्सा खातेदारी का है । जिसे धोषित करवाने का अधिकारी है । उपरोक्त उपहार पत्र दिनांक 12.05.17 में रेस्पो0 सं0 1 ता 3 की माता अपना 21.25 हिस्सा कृषि भूमि में से 16.25 हिस्सा रेस्पो0 सं0 8 ने अपने 21.25 हिस्सा में से 16.25 हिस्सा तथा रेस्पो0 सं 0 5 ता 6 के पिता सलीम ने 2.50 हिस्सा अपीलांट सं0 1 मो0 जुबेर के पक्ष में उपहार कर दिया जबकि उनको सम्पूर्ण हिस्से का उपहार करने का कोई अधिकार नही था क्यों कि यह कृषि भूमि नाना/दादा से विरासत में आई थी इसलिये रेस्पो0/वादीगण का भी अपने माता पिता के हिस्से में आई भूमि में रेस्पो0/वादी 1ता 3 का 3/4 3/4 हिस्सा रेस्पो0 सं0 4 का अपने पिता के हिस्से की भूमि में 1/2 हिस्सा व रेस्पो0 सं0 5 व 6 का अपने पिता रेस्पो0 सं0 8 के हिस्से की भूमि में 2/3 2/3 हिस्सा था इसलिये उक्त हिस्से में से रेस्पो0/वादी के

हक की हद तक यह उपहार पत्र शुरू से ही शुन्य व निष्प्रभावी है । वादगत कृषि भूमि ख0न0 959 तादादी 14 बीघा का विभाजन हो चुका है जो कई खसरो में विभाजित होकर अब ख0न0 2821/959 तादादी 0.1700 हैक्टयर ख0न0 2822/959 तादादी 0.2687 हैक्टयर, ख0न0 2823/959 तादादी 01739 हैक्टयर, ख0न0 2824/959 तादादी 0. 1699 हैक्टयर, ख0न0 2825/959 तादादी 0.2567 हैक्टयर, ख0न0 2826/959 तादादी 0.4031 हैक्टयर, ख0न0 2827/959 तादादी 0. 7588 हैक्टयर, ख0न0 2828/959 तादादी 0.7578 हैक्टयर, ख0न0 2829/959 तादादी 0.3380 हैक्टयर ख0न0 2830/959 तादादी 0. 2529 हैक्टयर बन गये है जिस पर अपीलांट/प्रतिवादी प्लोटों के रूप में अन्य व्यक्तियों को विक्रय करने का प्रयास किया जा रहा है तथा अब भूमि का समतलीकरण कर प्लोटिंग का कार्य किया जा रहा है ऐसी स्थिति में अपीलांट/प्रतिवादी को अस्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाना अनिवार्य था । इस संबंध में अभिभाषक ने न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये है जो इस प्रकार है :– 1.मुस्लिम विधि (शरियत) अधिनियम 1937 की धारा (2) 2. 1991 आर एल डब्ल्यू (आर जे) पेज 121 Notwithstanding any customs or usage to the country, in all question (save questions relating toagriculture land) regarding intestate succession special property of females including personal. Muslim law and clamed declaration, partion section to of the shariat act clearly excludes the agriculture land from is scope . the claimed bythe pettiondr could well be granted by the revenue court under section 53 and 88 of the rajasthan tenancy act it was keld that according to section 27 NWFP law initially the rule of coustom appeal to inheritance umong of NWFP but if there be no coustom personal law has to prevail. The case law cited is not applicable in the case in hand . the muslim law dose not recognice adoption except if there is custom as it has been held by the aforesaid judgment . the plaintiff has not led any positive evidence of contrary excpt mere contentions that the adoption does not prevail in their community. The platiff had not shown any instance before the court below where such adoption might have been alleged but was refusedby the community.the trial court revenuv appellate court and the bourd of revenue have concurrently held that there is a custom of adoption in the community to which parties belong. Under the facts and circumstances of the case when the fact that such custom or usage on question of adoption is not prevailing has not been agitated and now is not open to the petitioner to agitate before this court . we are not inclined to interfere with the finding of arried at by the learned trial court and affirmer by the learnd revenue appellate authority and the learnd member of the bourd of revenue. We are of the opnion that there is no error or illegalty in the impugned orders calling of any interference under article 226 of the constitution by this court the writ petition has no force.3. 2018 आरआरडी पेज न0 152 4. 2021 (1) डीएनजे (आर जे)

पेज 702 5. 2021 (1) डीएनजे (आर जे) पेज 591 6. 2020 आरआरडी पेज 132 । अत अपील अपीलांट खारिज की जावे व अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 22.09.2020 को यथावत रखा जावे ।

4. हमने अधिवक्ता अपीलांट व रेस्पो0 की बहस सूनी व अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया जिससे साबित होता है कि वादगत कृषि भूमि अपीलांट/प्रतिवादी एवम रेस्पो0/वादीगणों की पैतृक खातेदारी की कृषि भूमि है एवम सभी खातेदार मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति है । किसी मुस्लिम व्यक्ति की सम्पति में उसके वारिसान को उनके जीवनकाल से कोई उतराधिकार हासिल नही होते है मुस्लिम विधि अध्याय 6 बिन्दु 52 के अनुसार Birth right not recognised- The right of an heir apparent or presumptiv comes into existence for the first time on the death of the ancesto, and he is not entitled until then to any interest in the property to which he would succeed as an heir if he survived the ancestor .एवम मुस्लिम ला खण्ड तृतीय दान करने की सर्मथन The Law Relating To Gifts पेज 27 सेक्शन 3 capacity for Making a gift- capacity to make a Hiba or Gift- every muslim who has attained majority and is of sound mind can make a gift . A woman has the same right to make a gift as a man, and marrige dose not entil any diabilities.the orderary presumption is that a person making a gift understands what he is doing but if the donor is a woman designated as pardanslim the presumption does not arise. (जो कोई व्यक्ति व्यस्क, स्वस्थ एवम मस्तिष्क से सही हो व व्यक्ति अपने हिस्से/खातेदारी की भूमि को दान करने में पूर्णतयः स्वतंत्र है) परन्तु मुस्लिम पर्सनल ला (शरियत) एप्लीकेशन एक्ट 1937 की धारा 2 के अनुसार Notwithstanding any customs or usage to the country, in all question (save questions relating toagriculture land) regarding intestate succession special property of females including personal.से स्पष्ट होता है कि वादगत कृषि भूमि से संबंधित प्रश्नो को मुस्लिम प्रर्सनल लॉ के प्रावधानो से अलग रखा गया है । पैतृक भूमि में जो पुर्वजो की खातेदारी में चली आ रही हो दादा की भूमि में पोते/पोती का स्वतः ही अधिकार उत्पन्न हो जाता है ऐसे में उपहारकर्ता उपहार करने के अधिकारी नही थे । चुकिं वादगत संम्पति कृषि भूमि है जिसमें मुस्लिम महिला के अधिकार शरीयत के तहत तय होगें इसलिये मुस्लिम पर्सनल लॉ के निर्देश लागू नही होते । चूंकि वादगत कृषि भूमि का निर्णय अधीनस्थ न्यायालय में जारी वाद में सम्पूर्ण सुनवाई के बाद तय किया जाना है ऐसी स्थिति में यह न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.09.2020 में कोई रद्वोबदल नही करना चाहती है ।

5. अतः उक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है एवम अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 22.

09.2020 को यथावत रखा जाता है एवम अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि वो सभी पक्षकारों की उपस्थिति में साक्ष्य व सबुत प्राप्त कर विधि द्वारा स्थापित नियमानुसार दो माह में निर्णय पारित करें । पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो । अधिनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली मय निर्णय प्रति के लोटाई जावे ।

6. निर्णय आज दिंनाक 27.05.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(egkohj [kjkMh½
Hk icU/k vf/kdkjh ,o
inu jktLo vihy ikf/kdkjh
chdkuj